न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद ।

वाद सं०-६०१/१२

आरोप

मैं मेराज अहमद,न्यायिक मजिस्ट्रेट कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद ।आप लालू उर्फ एस०पी०,पंकज पर निम्न आरोप लगाता हूं।

प्रथमः-यह कि उपरोक्त दिनांक ०९/०३/१३ को समय १ बजे वहद स्थान रेलवे कालोनी थाना कायमगंज जनपद फर्रूखावाद मे आप लोगो ने वादी मुकदमा चन्द्र मोहन की पत्नी व बहु से धेखा देकर जेबर ले गये। इस प्रकार आप लोगो ने भा०द० स० की धारा ४२० के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध कारित किया ।जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे हैं।

द्वितीयः-यह कि उपरोक्त दिनाक समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा चन्द्रमोहन की पत्नी व बहु के साथ आपराधिक न्यासभंग कारित किया। इस प्रकार से आप लोगो ने धारा ४०६ भा०द०स० के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध कारित किया ।जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में हैं।

मैं एतदद्वारा अपको निर्देश देता हूं। कि उक्त आरोपो मे आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा ।

(मेराज अहमद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कायमगंज

दिनांक ०६/०९/१६

उक्त आरोप अभियुक्त को पडकर सुनाया व समझाया गया।जिसे अभियुक्त ने इनकार किया तथा विचारण की मागं की ।

(मेराज अहमद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कायमगंज

दिनंक-०६/०९/१६